International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628 Print ISSN: 2664-861X
Received: 09-11-2025, Accepted: 08-12-2025, Published: 23-12-2025
Volume 7, Issue 6, 2025, Page No. 117-119

बहुराष्ट्रीय निगमों में सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में गांधीवादी श्रम–न्यासिता की समकालीन प्रासंगिकता

Dr. Sujit Kumar
Department of Industrial Relations and Personnel Management, Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, India

सांरश
वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में बहुराष्ट्रीय निगम (Multinational Corporations–MNCs) विश्व–अर्थव्यवस्था के प्रमुख संचालक बन चुके हैं। उत्पादन, पूँजी, श्रम और प्रौद्योगिकी पर इनके व्यापक नियंत्रण ने सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility–CSR) को एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक विमर्श बना दिया है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित न्यासिता सिद्धांत, विशेषतः श्रम–न्यासिता, एक वैकल्पिक नैतिक ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो लाभ–केन्द्रित कॉर्पोरेट संस्कृति को मानव–केन्द्रित बनाने की क्षमता रखता है।
यह शोध–पत्र बहुराष्ट्रीय निगमों की CSR गतिविधियों का विश्लेषण गांधीवादी श्रम–न्यासिता के आलोक में करता है और यह मूल्यांकन करता है कि क्या यह दृष्टिकोण आज के वैश्विक पूँजीवादी ढाँचे में प्रासंगिक, व्यवहार्य और सामाजिक न्यायोन्मुख हो सकता है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि श्रम–न्यासिता CS R को दान–आधारित गतिविधि से आगे ले जाकर नैतिक दायित्व और संरचनात्मक न्याय के रूप में पुनर्परिभाषित करती है।

मूल शब्दः गांधीवाद, श्रम–न्यासिता, सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), बहुराष्ट्रीय निगम, नैतिक पूँजीवाद, श्रम–न्याय

भूमिका

वैश्वीकरण और नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के विस्तार ने बहुराष्ट्रीय निगमों को वैश्विक उत्पादन, वितरण और श्रम–प्रबंधन की केंद्रीय इकाइयों के रूप में स्थापित कर दिया है। आज MNCs केवल आर्थिक संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उत्पादन लागत में कटौती, अधिकतम लाभ और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की होड़ में श्रम का वस्तुकरण (commodification of labour) एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है, जिससे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, कार्य–गरिमा और सामूहिक सौदेबाज़ी की क्षमता लगातार कमजोर होती जा रही है।[1]
इसी पृष्ठभूमि में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की अवधारणा उभरती है, जिसे प्रारंभ में उद्योगों के सामाजिक दुष्प्रभावों की भरपाई के साधन के रूप में देखा गया। यद्यपि CSR ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में कुछ सकारात्मक पहलें की हैं, फिर भी यह प्रायः कानूनी अनुपालन, ब्रांड–छवि निर्माण और निवेशकों को आकर्षित करने तक सीमित रह जाती है। कार्यस्थल के भीतर श्रम–संबंधों में व्याप्त असमानताओं और शोषण की संरचनात्मक समस्याओं को CSR अक्सर अनदेखा कर देती है।
महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित श्रम–न्यासिता का सिद्धांत इस प्रवृत्ति को मूलतः चुनौती देता है। गांधी के अनुसार उद्योग, पूँजी और प्रबंधन समाज के प्रति उत्तरदायी न्यासी हैं, न कि पूर्ण स्वामी।[2] यह दृष्टिकोण श्रम को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि नैतिक अधिकारों से युक्त मानवीय शक्ति मानता है। इस प्रकार, गांधीवादी श्रम–न्यासिता CSR को दान या परोपकार से ऊपर उठाकर सामाजिक न्याय और नैतिक उत्तरदायित्व के व्यापक ढाँचे में स्थापित करने की क्षमता रखती है।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

गांधीवादी न्यासिता पर उपलब्ध साहित्य इसे औद्योगिक पूँजीवाद के भीतर एक नैतिक प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित करता है। गांधी ने न्यासिता को ऐसा सामाजिक सिद्धांत माना, जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामूहिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए[3]। उनके अनुसार उद्योगपति समाज द्वारा प्रदत्त संसाधनों के केवल संरक्षक हैं, जिन पर श्रमिकों और समुदाय के प्रति नैतिक दायित्व बनता है।
CSR पर समकालीन साहित्य इसे "कॉर्पोरेट नैतिकता का संस्थागत रूप" मानता है, किंतु आलोचनात्मक अध्ययनों में यह भी रेखांकित किया गया है कि CSR अक्सर नव–उदारवादी व्यवस्था के भीतर एक सुधारवादी उपकरण बनकर रह जाती है[4]। CSR की योजनाएँ सामाजिक समस्याओं को छूती तो हैं, परंतु उत्पादन–प्रणाली में निहित शक्ति–असमानताओं को चुनौती नहीं देतीं। विशेष रूप से श्रम–संबंधों के संदर्भ में CSR का दृष्टिकोण सीमित और सतही दिखाई देता है।
श्रम–केन्द्रित CSR और गांधीवादी श्रम–न्यासिता के अंतर्संबंध पर अपेक्षाकृत कम शोध उपलब्ध है। अधिकांश अध्ययन या तो CSR को प्रबंधन–रणनीति के रूप में देखते हैं या गांधीवाद को नैतिक दर्शन के रूप में। यह शोध–पत्र इन दोनों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करता है और यह दिखाता है कि श्रम–न्यासिता CSR को अधिक गहन, न्यायपूर्ण और सहभागी बना सकती है।

शोध के उद्देश्य

1. गांधीवादी श्रम–न्यासिता की अवधारणा का सैद्धांतिक विश्लेषण करना।
2. बहुराष्ट्रीय निगमों की CSR गतिविधियों की प्रकृति और सीमाओं का अध्ययन करना।
3. CSR और श्रम–न्यासिता के बीच साम्य एवं अंतर्विरोधों की पहचान करना।
4. समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम–न्यासिता की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पनाएँ

H_1: बहुराष्ट्रीय निगमों की वर्तमान CSR गतिविधियाँ श्रम–केन्द्रित न होकर पूँजी–केन्द्रित हैं।
H_2: गांधीवादी श्रम–न्यासिता CSR को नैतिक और संरचनात्मक आधार प्रदान कर सकती है।
H_3: श्रम–न्यासिता अपनाने से बहुराष्ट्रीय निगमों में सामाजिक उत्तरदायित्व की गुणवत्ता में वृद्धि संभव है।

शोध–पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक (Descriptive & Analytical) पद्धति पर आधारित है।

- **डेटा स्रोत:** द्वितीयक स्रोत (गांधी साहित्य, CSR रिपोर्ट्स, ILO दस्तावेज़, शोध–पत्र)।
- **विश्लेषण उपकरण:** सैद्धांतिक तुलनात्मक विश्लेषण।
- **सीमा:** अध्ययन अनुभवजन्य (empirical) न होकर वैचारिक–आलोचनात्मक है।

गांधीवादी श्रम–न्यासिता: अवधारणात्मक विवेचन

गांधीवादी श्रम–न्यासिता का मूल आधार यह मान्यता है कि श्रम और पूँजी के बीच संबंध प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, बल्कि सहकारी होने चाहिए।[5] गांधी श्रमिक को उत्पादन–प्रणाली का नैतिक केंद्र मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था की सफलता का मापदंड केवल लाभ नहीं, बल्कि श्रमिकों की गरिमा और कल्याण होना चाहिए।

श्रम–न्यासिता के अनुसार उद्योगपति और प्रबंधक समाज के प्रति न्यासी हैं, जिनका दायित्व है कि वे श्रमिकों को सम्मानजनक मजदूरी, सुरक्षित कार्य–परिस्थितियाँ और निर्णय–प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करें। यह दृष्टिकोण श्रम को 'लागत' के रूप में देखने की पूँजीवादी प्रवृत्ति का प्रतिवाद करता है और श्रमिक को नैतिक भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

समकालीन संदर्भ में श्रम–न्यासिता केवल नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक औद्योगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो उत्पादन–दक्षता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। यही कारण है कि यह सिद्धांत बहुराष्ट्रीय निगमों की CSR नीतियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक सशक्त वैचारिक आधार प्रदान करता है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की CSR गतिविधियाँ: एक आलोचनात्मक दृष्टि

वर्तमान में बहुराष्ट्रीय निगमों की CSR गतिविधियाँ मुख्यतः समुदाय–आधारित परियोजनाओं तक सीमित हैं, जैसे विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण। यद्यपि ये पहलें सामाजिक रूप से उपयोगी हैं, परंतु वे अक्सर कंपनी के मुख्य उत्पादन–प्रक्रिया और श्रम–संबंधों से पृथक रहती हैं[6]।

CSR का यह स्वरूप एक प्रकार का नैतिक द्वैत रचता हैकृजहाँ एक ओर कंपनी सामाजिक कल्याण का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उसके आपूर्ति–श्रृंखला (supply chain) में श्रमिक न्यूनतम वेतन, असुरक्षित कार्य–परिस्थितियों और अनुबंध आधारित रोजगार की अस्थिरता से जूझते हैं। इस संदर्भ में CSR को "कार्यस्थल के बाहर नैतिकता" और "कार्यस्थल के भीतर शोषण" की संरचना कहा जा सकता है।

इस प्रकार, CSR तब तक अपूर्ण बनी रहती है, जब तक वह श्रम–अधिकारों, श्रमिक सहभागिता और कार्यस्थल की न्यायपूर्ण संरचना को अपने केंद्र में नहीं लाती। यही वह बिंदु है जहाँ गांधीवादी श्रम–न्यासिता CSR की वैचारिक और व्यावहारिक सीमाओं को उजागर करती है।

श्रम–न्यासिता और CSR का समन्वय

यदि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को गांधीवादी श्रम–न्यासिता के सिद्धांत से जोड़ा जाए, तो CSR की प्रकृति और उद्देश्य में गुणात्मक परिवर्तन संभव है। वर्तमान में CSR प्रायः कल्याणकारी या परोपकारी गतिविधियों तक सीमित रहती है, जहाँ श्रमिकों को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत, श्रम–न्यासिता श्रमिक को उत्पादन–प्रक्रिया का नैतिक और सक्रिय सहभागी मानती है। गांधी के अनुसार श्रम केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ तत्व है, जिसे निर्णय–प्रक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता।[7] इस दृष्टिकोण को अपनाने पर CSR ऐसी व्यवस्था का रूप लेती है, जिसमें श्रमिक नीतियों के क्रियान्वयन में नहीं, बल्कि उनके निर्माण में भी सहभागी बनते हैं।

श्रम–न्यासिता से प्रेरित CSR दान–आधारित या छवि–निर्माण की रणनीति न रहकर न्याय–आधारित उत्तरदायित्व का स्वरूप ग्रहण करती है। गांधीवादी विचारधारा में उद्योगपति समाज के प्रति न्यासी होते हैं, जिन पर यह नैतिक दायित्व है कि वे श्रम के साथ न्याय करें और उत्पादन से उत्पन्न लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करें।[8] इस संदर्भ में CSR केवल बाह्य सामाजिक परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कार्यस्थल के भीतर समान वेतन, सुरक्षित श्रम–परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य–पर्यावरण की स्थापना को भी अपने दायरे में शामिल करती है। इस प्रकार CSR सामाजिक न्याय की संरचनात्मक अभिव्यक्ति बन जाती है।

इसके अतिरिक्त, श्रम–न्यासिता के समावेशन से कॉर्पोरेट निर्णय–प्रक्रिया में श्रमिकों की आवाज़ सशक्त होती है। आधुनिक बहुराष्ट्रीय निगमों में निर्णय प्रायः शीर्ष–प्रबंधन और शेयरधारकों के हितों द्वारा संचालित होते हैं, जिससे श्रमिकों की आकांक्षाएँ हाशिये पर चली जाती हैं।[9] गांधीवादी श्रम–न्यासिता इस केंद्रीकरण को चुनौती देती है और सहभागितामूलक औद्योगिक लोकतंत्र (industrial democracy) की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। ऐसी CSR नीति न केवल श्रम–संबंधों में विश्वास और स्थिरता उत्पन्न करती है, बल्कि दीर्घकालीन रूप से कॉर्पोरेट नैतिकता और सामाजिक समरसता को भी सुदृढ़ करती है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ, वर्तमान स्वरूप में, सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं। CSR तब तक सीमित रहेगी, जब तक वह केवल बाह्य सामाजिक परियोजनाओं पर केंद्रित रहे और श्रम–संबंधों की आंतरिक संरचना को अनदेखा करे।

गांधीवादी श्रम–न्यासिता CSR को एक नैतिक और संरचनात्मक आधार प्रदान करती है, जहाँ श्रमिकों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सहभागी और हितधारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह दृष्टिकोण कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को परोपकार से आगे ले जाकर न्याय, गरिमा और समानता की अवधारणाओं से जोड़ता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समकालीन वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था में गांधीवादी श्रम–न्यासिता केवल प्रासंगिक ही नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में उभरती है। यदि CSR को वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाना है, तो उसे श्रम–न्यासिता के मूल्यों को आत्मसात करना ही होगा।

संदर्भ सूची

1. Harvey D. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
2. Gandhi M K. Trusteeship. Navajivan Publishing House.
3. Ibid.
4. Banerjee S B. Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly. Edward Elgar, 2007.
5. Gandhi M K. Hind Swaraj.
6. ILO. Global Labour Practices and MNCs Report.
7. Gandhi M K. Hind Swaraj. Navajivan Publishing House

8. Gandhi M K. Trusteeship. Navajivan Publishing House
9. Banerjee S B. Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly, 2007.
10. Banerjee SB. Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly- Edward Elgar, 2007.
11. Gandhi MK. Hind Swaraj- Navajivan Publishing House, 1938.
12. Gandhi MK. Trusteeship Navajivan Publishing House, 1947.
13. Harvey D. A brief history of neoliberalism- OÛford University Press, 2005.
14. International Labour Organization. Global labour practices and multinational enterprises, 2019.